pan>

Title: Need to construct the railway under pass as per the norms.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'रेल बढ़े-देश बढ़े' के तहत रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे परिक्षेत्र में कई योजनाओं को शुरू किया है। रेलवे ने खुर्ज़ा-मेरठ रेलवे ट्रैक के महत्व को देखते हुए इसके विस्तार की योजना तैयार की। इस रेल मार्ग पर हापुड़ में दिल्ली-मुरादाबाद रेल मार्ग मिलता है तथा खुर्जा में यह रेल मार्ग दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग से जुड़ जाता है। इस रेल मार्ग के विस्तार की योजना के अंतर्गत 40 अंडरपास स्वीकृत किये गये तथा इनके निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये का बजट भी जारी हो गया। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

अंडरपास के निर्माण के लिए रेलवे ने नियम तय किये हुए हैं। नियमानुसार एक मीटर ऊँचाई के लिए 30 मीटर लम्बे रास्ते की जरूरत होती है। साधारणतया इन अंडरपासेज़ की ऊँचाई पाँच मीटर है। इस कारण से नियमानुसार रास्ते की लम्बाई 150 मीटर होनी चाहिए, परन्तु अनेक स्थानों पर इस मानक की अवहेलना की गयी है। इस दृष्टि से, विशेषकर मैं हापुड़ के गांव महमूदपुर के पास बनने वाले अंडरपास संख्या 32सी का उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें पाँच मीटर ऊँचे अंडरपास के लिए रास्ते की लम्बाई केवल 70 मीटर रखी गयी है। इस खड़ी चढ़ाई से किसी भी प्रकार का वाहन जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि इस रास्ते से नहीं निकल सकते हैं। इसी प्रकार की अनियमितताएँ ग्राम दादरी के पास बने अंडरपास संख्या 73सी में भी की गयी है। परिणामस्वरूप लगभग 20 गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। इसके कारण स्कूली छात्रों, किसानों व आम नागरिकों को आवागमन में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए, इन अंडरपासेज का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाए तथा इस हेतु आवश्यक उपाय किये जाएं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।